प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 21-28 फरवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या कांग्रेस को डरा-धमका कर भ्रष्टाचार की गंभीरता को कम कर रही है सरकार

विधानसभा के पटल पर

- शराब कांड पर उठी चर्चा धवाला वक्कामुल्ला और कुल्लू प्रकरण तक पहुंची
- क्या आने वाले दिनों में व्यक्ति केंद्रित आरोप देखने को मिलेंगे
- या आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक ब्लैकमेल होकर रह जायेंगे

शिमला/शैल। बजट सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष को सदन से वाकआउट करने की बाध्यता आ खड़ी हुई है। सदन जनहित के मुद्दे उठाने का सबसे बड़ा और प्रमाणिक मंच है। पक्ष-विपक्ष से इस मंच पर जन मुद्दों की प्रभावी चर्चा की अपेक्षा की जाती है। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही किया जाता है क्योंकि नियम नीति और प्रशासन सब सरकार की जिम्मेदारी और नियत्रण में होता है। सरकार की कार्यशैली और उसके फैसलों पर कड़े सवाल करने की अपेक्षा विपक्ष से सदन में और मीडिया से सार्वजनिक मंच पर की जाती है। सदन में जब सत्ता पक्ष अपने संख्या बल के आधार पर विपक्ष को नहीं सुनता है तब विपक्ष को सदन से वाकआउट करके मीडिया के सामने अपने सवाल रखने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इस परिप्रेक्ष में जब वर्तमान बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष की अब तक सामने आयी भूमिकाओं का आकलन किया जाये तो जो वस्तुस्थिति सामने आती है उससे कुछ सवाल उभरते हैं। इन सवालों को नजरअंदाज करना शायद इमानदारी नहीं होगी।

वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत महामहिम राज्यपाल के संबोधन से शुरू होता है जिसे प्रशासन तैयार करता है और मंत्रिमंडल इसे स्वीकार करता है। विधानसभाओं में सामान्यत: वर्ष का पहला सत्र बजट का ही रहता है। इस सत्र में राज्यपाल के संबोधन के माध्यम से सरकार की बीते वर्ष की कारगुजारी का पूरा ब्योरा सदन में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है। इस समय बेरोजगारी और महंगाई तथा सरकारों का लगातार बढ़ता कर्ज भार ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हर आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। हिमाचल में इस समय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा चौदह लाख से पार जा चुका है। सरकार ने चार वर्षो में करीब चौबीस हजार को रोजगार उपलब्ध कराया है। यह जानकारी स्वंय सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में दी है। जबकि पिछले बजट भाषण में वर्ष 2021-22 में तीस हजार को नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन शायद इसका अभिभाषण में कोई जिक्र ही नहीं है। इस समय प्रदेश में दर्जनों आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से जयराम सरकार नौकरियां दे रही हैं। इनका वेतन और कमीशन सरकार के खजाने से अदा हो रहा है। इस पर जब सरकार इन कंपनियों के बारे में ही एक तरह से अनभिज्ञता प्रकट करें तो विपक्ष या आम आदमी क्या करेगा।

विधानसभा के पिछले सत्र में आयी कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है की सरकार ने जनहित की 96 योजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है और न ही इसका कोई कारण बताया है। तो क्या इस पर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के मौन पर विपक्ष को उसकी प्रशंसा करनी चाहिये थी? घोषणाओं पर खर्च न होने के बावजूद सरकार द्वारा करीब हर माह कर्ज लिये जाने का समर्थन किया जाना चाहिये? अभी जयराम सरकार ने बिजली के बिलों में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इस राहत के लिये सरकार बिजली बोर्ड को 92 करोड़ अदा करेगी यह कहा गया था। लेकिन इस संबंध में भी अभी तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पायी है जिसका अर्थ है कि यह राहत देने के लिये भी पूरा होमवर्क नहीं किया गया है।

इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बजट सत्र से पहले सुंदरनगर में जहरीली शराब कांड और फिर ऊना के बाथू में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुये विस्फोट ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि दोनों मामलों में मौतें हुई हैं। बाथू में कई लोग घायल हुए हैं। सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से वहीं के लोग मरे हैं। उन्हें आठ लाख का मुआवजा दिया गया। क्योंकि वह हिमाचली थे। बाथू विस्फोट में मरने वाले प्रवासी मजदूर थे इसलिए उन्हें चार-चार लाख का मुआवजा दिया गया। मुआवजे में हुये इस भेदभाव का हिमाचल में काम कर रहे प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। बाथू में चल रही पटाखा फैक्ट्री भी अवैध रूप से ऑपरेट कर रही थी। कोई लाइसेंस नहीं था। यहां तक कि बिजली पानी की आपूर्ति भी अवैध रूप से हो रही थी। इस अवैधता के लिये प्रशासन में मौन किस स्तर पर जिम्मेदार रहा है और उसके खिलाफ क्या कारवाई की जाती है इसका पता तो आगे लगेगा। लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें उत्पादन के लिये विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की जा रही हो उसका ऑपरेट होना सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के चुनाव क्षेत्र में यह घटा है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग की है। सदन में इस पर अपना मत रखते हुये जब अग्निहोत्री ने शराब कांड में नामजद रंगीलू को लेकर बात की और खुलासा किया की वह तो भाजपा का प्राथमिक सदस्य है तब इस पर मुख्यमंत्री सहित पूरे सत्तापक्ष की जो प्रतिक्रियायें आयी हैं वह अपने में कई गंभीर सवाल खड़े कर जाती है। शराब कांड हमीरपुर से शुरू हुआ यहां पर अवैध कारखाना पकड़ा गया जो कि हमीरपुर कांग्रेस के महामंत्री के मकान में स्थित था। प्रदेश में तीन जगह यह अवैध शराब बनाई जा रही थी। जयराम सरकार के कार्यकाल में शराब ठेकों की नीलामी नहीं होती रही है। इस नीति से प्रदेश के राजस्व को बारह सौ करोड़ का नुकसान होने के आरोप हैं। यह माना जाता है कि जितना वैद्य कारोबार हो रहा है उतना ही अवैध कारोबार है।

रंगीलू का संद्धर्भ आने पर मुख्यमंत्री यहां तक कह गये कि हमीरपुर शराब कांड में सम्मिलित हमीरपुर कांग्रेस के महामंत्री के तो कई नेताओं के साथ फोटो वायरल हुये हैं और उसे कांग्रेसी टिकट देने की सिफारिश कर रहे थे। यह इशारा मुकेश अग्निहोत्री की ओर था। इसका जवाब देते हुए मुकेश ने खुलासा किया कि उसके फोटो तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ भी हैं। इसी के साथ मुकेश ने यह भी खुलासा किया कि भाजपा नेताओं के फोटो तो चर्चित कुल्लू कांड के साथ भी हैं। तो क्या फोटो होने से कोई दोषी हो जाता है। प्रश्न तो अवैधता का है और जिसके शासन में यह घट रही है। उसी को इस पर कारवाई करनी है। लेकिन भ्रष्टाचार पर जिस तरह से सदन में धवाला कांड से लेकर वक्कामुल्ला तक का जिक्र आया उससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। क्योंकि जिन नेताओं और उनके सहयोगियों ने प्रदेश के बाहर और भीतर संपत्ति खरीदी है उनके खुलासे सार्वजनिक रूप से सामने आयेंगे। भ्रष्टाचार हर चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहता आया है। क्योंकि हर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे करती आयी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 31 अक्तूबर 1997 को सरकार ने एक ईनाम योजना अधिसूचित की थी। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की प्रारंभिक जांच एक माह में करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन आज तक इसमें नियम नहीं बन पाये हैं। इसमें सरकार को होने वाले लाभ का 25% शिकायतकर्ता को देने की बात की गयी है। लेकिन आज तक इस योजना के तहत आयी किसी भी शिकायत की प्रारंभिक जांच माह के भीतर नहीं की गयी। यहां तक की जयराम सरकार ने तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भी अमल नहीं किया है। भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक ब्लैकमेल का एक माध्यम होकर रह गया है। शराब कांड और विस्फोट कांड दोनों का कारोबार अवैध रूप से चल रहा था। इस सभ्यता के लिए प्रशासन में किसी को दंडित किया जाता है या नहीं जयराम सरकार के लिए यह एक बड़ा टैस्ट होगा।

प्राकृतिक खेती में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हिमाचल के किसानः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल के किसान प्राकृतिक खेती में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

यह बात उन्होंने जिला कांगड़ा में

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती युवा उद्यमियों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती देश में व्यापक स्तर पर बढ़ रही है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

राज्यपाल ने कहा कि यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल देश में प्राकृतिक खेती करने वाला अग्रणी राज्य बन कर उभरा है और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लगभग 1.68 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस संख्या को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कर्मयोगी की संज्ञा देते हुए कहा कि आज उन्हें प्राकृतिक खेती प्रणाली के बारे में युवा किसान उद्यमियों से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 45 हजार एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती प्रणाली को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इस दिशा में युवा किसान उद्यमी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और कहा कि भावीपीढ़ी की सुरक्षा के लिए इस प्रणाली को सभी किसानों द्वारा अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लोगों के अनुभवों से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे अन्य किसानों को भी इसे अपनाने की प्रेरणा मिले।

इससे पूर्व, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि इस वर्ष के मार्च तक राज्य में 12000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 हजार हेक्टेयर भूमि को इस पद्धति के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अवगत करवाया कि इस पद्धति के तहत 3590 पंचायतों को लाया गया है और युवाओं को इस पद्धति से सीधे जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 62 युवाओं को 6 माह से इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों के साथ सीधे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे जागरूक करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर डॉ. चंदेल ने प्राकृतिक खेती पर एक प्रस्तुति भी दी।

इस अवसर पर एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और बहुमूल्य जानकारी दी। जिला परियोजना निदेशक, आतमा शशिपाल अत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रही आतमा परियोजना द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और प्रदर्शनी में गहरी रूचि दिखाई। प्रदर्शनी में प्राकृतिक उत्पादों और प्राकृतिक खेती में प्रयुक्त घटकों को भी प्रदर्शित किया गया।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. एच.के. चौधरी, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, कृषि विभाग के वैज्ञानिक और अधिकारी तथा प्रगतिशील किसान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने घुरकारी पंचायत की अनीता देवी और सुलोचना देवी के खेतों का दौरा किया, जो प्राकृतिक खेती कर रही हैं। राज्यपाल ने इस दिशा में उनके समर्पण की सराहना की और कहा कि उनके प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणा हैं।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले मुख्य पर्वो में से एक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिवरात्रि का यह पावन अवसर लोगों के जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता लाएगा।

जय राम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि प्रदेश के लोग प्राचीन काल से ही पारम्परिक उल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कामना की कि शिवरात्रि का त्यौहार आपसी भाइचारे को सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का संचार करने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्यपाल ने कांगड़ा जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के जोनल अस्पताल धर्मशाला में एकीकृत पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को दवा पिलाई। इस अभियान के तहत कांगड़ा जिले के 1.21 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा कर्मचारी प्रशंसनीय सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का टीकाकरण ऐहतियाती बूस्टर डोज की तरह है।

इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. निपुण जिन्दल, पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुरदर्शन गुप्ता, वरिष्ठ एम.एस. डॉ. राजेश गुलेरिया और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पद्मश्री विद्यानंद सरैक को किया सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में विद्यानंद सरैक को सम्मानित किया, जिन्हें हाल ही में देश के चौथे सर्वोच्च

नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। राज्यपाल ने श्री सरैक को परिवार सहित राजभवन में दोपहर भोज के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल ने उन्हें 'प्रशस्ति पत्र', हिमाचली शॉल व टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी गीता सरैक को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि यह हिमाचलवासियों के लिए गर्व की बात है कि विद्यानंद सरैक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री सरैक ने हिमाचली संस्कृति और सिरमौर की पारम्परिक सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन के लिए सराहनीय कार्य किया है। उन्हें विश्वास जताया कि उनका यह अनथक प्रयास हिमाचली संस्कृति तथा लोक विद्याओं को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। यह सम्मान अन्य कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तथा उनमें नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति का संचार करेगा।

राज्यपाल ने कहा कि विद्यानंद सरैक की कला की पूरे देश ने सराहना की है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल में देव परम्परा लोक संस्कृति से जुड़ी है। इस संगीत परम्परा को जीवित रखने के लिए अनुसंधान और शोध की आवश्यकता है। उनका प्रयास है कि हिमाचल में संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि यह परम्परा आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं, जिन्हें समझने और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर, पदमश्री विद्यानंद सरैक ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि अपनी उच्च संस्कृति को आश्रय देने से समाज और देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की सादगी और संस्कृति के संरक्षण में योगदान की चर्चा की और कहा कि उनकी प्रेरणा से ही वह इस दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्यपाल द्वारा राजभवन बुलाकर इस तरह सम्मानित करने से वह निश्चिंत हैं कि उन्हें देखने वाला भी कोई है।

श्री सरैक की पौत्री बंदना सरैक जो बडु साहिब से संगीत में पी.एच.डी. कर रही हैं, ने राज्यपाल के समक्ष लोक गीत की प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर, विद्यानंद सरैक के पुत्र ओम प्रकाश सरैक और रमेश सरैक भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

संस्कृत को लोकभाषा बनाने की आवश्यकताःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भारती के दो दिवसीय प्रांत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमें संस्कृत पर विश्वास है लेकिन संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है जिसके लिए संस्कृत भारती प्रयासरत है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत भाषा के प्रसार में और अधिक बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। संस्कृत भाषा के क्रियान्वयन और रोजमर्रा के कार्यो में भाषा के अभ्यास के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश को और अधिक दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजभवन इस दिशा में कार्य करने की पहल करेगा और राजभवन में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जो संस्कृत भाषा के प्रसार और अभ्यास के लिए सुझाव देगा। संस्कृत भाषा में कार्य करने पर विशेष बल दिया जाएगा जिससे भाषा को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपनी ऐच्छिक निधि से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भारती को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।

राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत एक दिव्य भाषा है जिसे अब लोकभाषा में बदलने की आवश्यकता है। अगर हम यह करने में सफल होते हैं तो यह एक सुनहरा अवसर होगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम संस्कृत में हमारी आस्था को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से संस्कृत भाषा के क्रियान्वयन में आने वाली सभी चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दो दिवसीय इस सम्मेलन में निकले बहुमूल्य विचारों का मूल्यांकन किया जाएगा।

संस्कृत भारती के अखिल भारतीय सहसंगठन मंत्री जय प्रकाश गौतम ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों (शास्त्री) को टी.जी.टी दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा संस्कृत महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

संस्कृत भारती, हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष प्रो. लक्ष्मी निवास पांडे ने इस अवसर पर संगठन की गतिविधियों तथा संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों के बारे में जानकारी दी।

समन्वयक अरुण शर्मा ने ध्यायमंत्र को पढ़ा। इस अवसर पर संस्कृत भारती के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया।

संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री संजीव पाठक ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इससे पहले राज्यपाल ने माता ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप सरहान में राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से स्वच्छता कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों को स्वच्छता किट भी वितरित की।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअली सम्बोधित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आधार है और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने तथा प्रचारित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत

प्राचीन भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दुनिया को दिया गया यह सबसे बड़ा उपहार है। संस्कृत को अब विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य का महासागर है और देव भाषा संस्कृत वेदों, शास्त्रों, काव्यों और अनेक ऐसे ज्ञानरूपी मोतियों का स्रोत है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषाई, वर्ग, जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय विभाजन जैसे सामाजिक भेदों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र के लोग आसानी से संस्कृत से जुड़ सकते हैं और यह देश को एकजुट करने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि दिव्य मातृभाषा संस्कृत विश्व की अनेक भाषाओं का स्रोत है न कि किसी भाषा की व्युत्पत्ति।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्व की अनेक भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी जड़ों के महत्व का अनुभव करवाया तथा इस संकट के दौरान लाखों लोग अपने गांवों लौट आए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार देव वाणी संस्कृत प्रदेश के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस भाषा को इसका उचित स्थान प्रदान करने के लिए 2019 में राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को यह भाषा सीखनी चाहिए ताकि वह समृद्ध संस्कृति और परम्परा पर गर्व महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शास्त्री अध्यापकों की उचित मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने दैनिक वार्तालाप में सरल संस्कृत के उपयोग को प्रोत्साहित करके के लिए संस्कृत भारती के प्रयासों की भी सराहना की।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा एक दिव्य भाषा है जो विश्व को विश्व बंधुत्व और सहअस्तित्व की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शास्त्री अध्यापकों के अनेक पद भरे जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी इस प्राचीन भाषा को सीख सकें।

संस्कृत भारती के अखिल भारतीय सह-संगठन मंत्री जय प्रकाश गौतम ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा मानव द्वारा विकसित सबसे बेहतर, उत्तम और सक्षम साहित्यिक उपकरणों में से एक है। उन्होंने कहा कि वैदिक भाषा संस्कृत हजारों साल पहले से दुनिया की प्रारंभिक प्रमुख भाषाओं जैसे ग्रीक, हिब्रू और लैटिन आदि से पहले ही अस्तित्व में थी।

संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष प्रो. लक्ष्मी निवास पांडे ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री नरेंद्र, डॉ गिरिराज गौतम, हरीश पाठक, डॉ. पुरुषोत्तम, ललित शर्मा व डॉ. सत्य देव सहित अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ऊना में पटाखा फैक्टरी में अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऊना जिला के हरोली उप-मंडल के बाथू में एक पटाखा फैक्टरी में हुए अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में छः लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने इस दुःखद हादसे में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान करने की घोषणा की और पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से 15-15 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार ऊना अस्पताल में भर्ती तीन घायलों को पांच-पांच हजार रुपये प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच मंडलायुक्त के माध्यम से करने और उन्हें एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवैध पटाखा फैक्टरी को किराए पर भूमि देने के मामले की भी जांच की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने दिवंगत आत्माओं की शान्ति तथा पीड़ित परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा और अन्य जिला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया।

अनुराग ठाकुर एवं सुरेश कश्यप ने पटाखा फ़ैक्ट्री में हुए हादसे पर दुःख जताया

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ऊना टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथू में पटाखा फ़ैक्ट्री में हुए हादसे पर दुःख जताया है। अनुराग ठाकुर एवं सुरेश कश्यप ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ व दुर्घटना में जान गँवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊना ज़िले के टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथू में पटाखा फ़ैक्ट्री में आग लगने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में जान गँवाने वाले सभी मृतकों के परिवार जनों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्यों में लगा हुआ है। स्थिति पर पूरी गम्भीरता के साथ नज़र रखी जा रही है। दुर्घटना में घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले ऐसी मेरी कामना है। प्रभु हादसे में जान गवाने वाले सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे।

हिमाचल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तीन नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे:बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तीन नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। यह जानकारी उन्होंने क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) निगम की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इन तीन शाखा कार्यालयों के लिए भारत सरकार ने सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मेडिकल ट्रिब्यूनल भी गठित किया जाएगा। यह मामला राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में ईपीएफओ के तहत पंजीकृत संस्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां ईएसआईसी व्याप्त नहीं है। इन संस्थानों को भी ईएसआईसी के तहत लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदेश में प्रदान की जा सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। निगम द्वारा उद्योगों में कार्यरत्त कामगारों की सुविधा के लिए हर माह 15 तारीख को विभिन्न उद्योग परिसरों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ईएसआईसी के अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिक्रम सिंह ने लाभार्थियों को समयबद्ध ईएसआईसी पंजीकरण सुविधा प्रदान करने और विभिन्न संस्थानों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

निपुण हिमाचल मिशन से प्रदेश के बच्चे बनेंगे निपुण:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निपुण

हिमाचल मिशन का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया।

उन्होंने कहा कि निपुण भारत योजना केन्द्र सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार पहल है। हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए निपुण हिमाचल मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। आधारभूत साक्षरता भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने का आधार बनती है। इस मिशन के माध्यम से छोटे बच्चों को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मिशन के अन्तर्गत कक्षा एक से तीन के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा तथा उन्हें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस मिशन के अन्तर्गत कक्षा एक से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने तथा अंक गणित की शिक्षा का विकास किया जाएगा। यह योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इससे बच्चे समय पर आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता तथा विद्यार्थी की आधारभूत आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री को भी तैयार किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मिशन के अन्तर्गत निपुण लक्ष्य भी रखे जाएंगे, जिन्हें प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। मिशन के अन्तर्गत बेहतर कार्य करने वाले विद्यालयों को निपुण विद्यालय घोषित कर उस विद्यालय के मुख्याध्यापक और अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। निष्ठा कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पाठय पुस्तकें तैयार की गई हैं और बच्चों की पाठय कुशलता को जांचने के लिए शीघ्र ही ओरल रिडिंग फल्यूएंसी ऐप भी तैयार किया जाएगा।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की सुरक्षा का मामला विदेश मंत्रालय के समक्ष रखा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर से रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष के कारण यूक्रेन में फसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापिस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रारम्भिक सूचना के अनुसार यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के 130 से ज्यादा लोग फसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यूक्रेन में फसे राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए चिन्तित है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के मुख्य सचिव पहले से ही विदेश सचिव के सम्पर्क में हैं।

जय राम ठाकुर ने मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए यूक्रेन के साथ-साथ नई दिल्ली में हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थाई कार्य नहीं किया जा सकता। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

घातक होंगे गांधी के चरित्र हनन के प्रयास

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र हनन और उनको मारने वाले नाथूराम गोडसे का महिमा मण्डन करते हुए सोशल मीडिया ओ.टी.टी. मंच लाईम लाईट पर आयी फिल्म ''मैंने गांधी को क्यों मारा'' के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई एक याचिका के माध्यम से इसके प्रसारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा ने इस आशय की एक याचिका दायर की है जिस पर अदालत ने सभी संबद्ध पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। स्वभाविक है कि इस पर अब चर्चाओं का दौर चलेगा और एक वर्ग इस फिल्म के तथ्य और कथ्य को प्रमाणित सिद्ध करने का प्रयास करेगा। इस बहस के दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिये इस संद्धर्भ में कुछ बुनियादी सवाल सामने रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने यह फिल्म बनायी है जो लोग इसका समर्थन या विरोध करेंगे और जो इस पर फैसला देंगे वह सभी लोग वह हैं जो 1947 के बाद पैदा हुये हैं। उनका आजादी की लड़ाई का अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सबकी जानकारियां अपने-अपने अध्ययन और उसकी समझ पर आधारित हैं। इस समय जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वह संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है। संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। उस समय संघ का राजनीतिक पक्ष हिंदू महासभा थी। संघ और हिंदू महासभा की स्थापना से लेकर 1947 में देश की आजादी तक इन संगठनों की आजादी की लड़ाई को लेकर रही भूमिका के संद्धर्भ में कोई बड़े नामों की चर्चा नहीं आती है। वीर सावरकर और बी एस मुंजे की जनवरी 1930 में हिटलर से हुई मुलाकात का जिक्र मुंजे की डायरी में मिलता है। जिसमें ऐसे युवा तैयार करने की बात कही गयी है जो बिना तर्क किये कुछ भी करने को तैयार हो जायें। दूसरी ओर कांग्रेस का गठन 1885 में हो जाता है और आजादी की लड़ाई में योगदान करने वालों की एक लंबी सूची उपलब्ध है। इसी सूची में महात्मा गांधी का नाम भी आता है। यह भी तथ्य है कि जब 1935 में अंतरिम सरकारें है बनी थी तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बंगाल में संयुक्त सरकार बनाई थी। यह कुछ मोटे तथ्य हैं जिनका कभी कोई खण्डन नहीं आया है।

इस परिदृश्य में जब 1947 में देश आजाद हुआ और साथ ही बंटवारा भी हो गया। तब जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गयी। उसी दौरान 1948 और 1949 में संघ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी की स्थापना कर ली। जब देश बंटवारे के जख्म और गांधी की हत्या के दंश सह रहा था तब संघ भविष्य के मीडिया और युवा शक्ति को अपने उद्देश्य के लिए तैयार करने की व्यवहारिक योजना पर काम करने लग गया था। आज दोनों ईकाईयां सत्ता में कितनी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं यह किसी से छिपा नहीं है। यह कहा जाता है कि अंग्रेजों को भगाने के लिये गांधी बंटवारे पर सहमत हो गये थे। उनका विश्वास था कि वह दोनों टुकड़ों को फिर से एक कर लेंगे। गांधी के इस विश्वास की समीक्षा तब हो पाती यदि वह दो-चार वर्ष और जिंदा रहते। गांधी इतिहास के ऐसे मोड़ पर मार दिये गये जहां पर उनको लेकर उठाया जाने वाला हर सवाल बेईमानी हो जाता है। क्योंकि बंटवारे के छः माह के भीतर ही उनको रास्ते से हटा देना एक ऐसा कड़वा सच है जो उन पर उठने वाले सवालों का स्वयं ही जवाब बन जाता है।

संघ अपनी राजनीतिक इकाई जनसंघ के माध्यम से 1952 से चुनाव लड़ता आ रहा है। 2014 में भाजपा के नाम से पहली बार अपने तौर पर सत्ता पर काबिज हो पाया है। 1948 से लेकर आज तक संघ की कितनी ईकाईयां हैं और वह क्या-क्या कर रही हैं अधिकांश को पता ही नहीं है। संघ शायद पहली संस्था है जो पंजीकृत नहीं है और अपने स्नातक तक तैयार कर रही है। इसका पाठयक्रम क्या है किसी को कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। आज तक इसके कितने स्नातक निकल चुके हैं और किस किस फिलड में हैं इस पर आम आदमी का ध्यान गया ही नहीं है। इसका इतिहास लेखन प्रकोष्ठ और संस्कार भारती कब से स्थापित हैं और क्या कर रहे हैं शायद आम आदमी को जानकारी ही नहीं है। अभी धर्म संसदों के माध्यमों से यह सामने आया है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर इनकी सोच क्या है। जबकि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके मुसलमानों के साथ एक और पारिवारिक रिश्ते हैं तो दूसरी ओर यह लोग सार्वजनिक मंचों से उनका विरोध करते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान किस तरह इनके नेता स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे इस संबंध में स्व.अटल जी के खिलाफ ही अदालती साक्ष्य लेकर स्वंय डॉ. स्वामी आये हैं। स्व.अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी मुखबिरी वाली भूमिका से क्या उन्हें देश हित का विरोधी कहा जा सकता है। नहीं, उस समय उन्होंने ऐसा जो भी कुछ किया होगा अपने वरिष्ठों के आदेशों की अनुपालना में किया होगा। इसलिये आज गांधी नेहरू के चरित्र हनन और उन्हें पाठयक्रमों से हटाकर सच को दबाने के प्रयास देश हित में नहीं माना जा सकता। बल्कि यह माना जायेगा कि ऐसे प्रयासों से आर्थिक असफलताओं को दबाने का काम किया जा रहा है।

यूसीएफ की भारतीय अल्पसंख्यकों पर दी गयी रिपोर्ट से पश्चिमी मीडिया का साम्राज्यवादी चेहरा उजागर

गौतम चौधरी

जनरल सुनीथा फ्रांसिस रोड्रिग्स, पीवीएसएम, वीएसएम, भारतीय सेना एक सेवानिवृत्त अधिकारी, जिन्होंने 1990 से 1993 तक सेना प्रमुख और 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तारा ऐनी फोन्सेका-एक भारतीय मॉडल और मिस एशिया पैसिफिक 1973 की विजेता प्रतियोगिता, जॉन अब्राहम-एक सफल भारतीय अभिनेता, मथाई जॉर्ज मुथूट जूनियर- एक भारतीय उद्यमी, लाल थनहवला- एक भारतीय राजनेता और मिजोरम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता हैं। सूची लंबी है और सभी में कुछ न कुछ समान है। उन्होंने भारत में अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त की है। सभी ईसाई धर्म को मानते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मीडिया शायद ही कभी उन पर रिपोर्टिंग करते समय उनके धर्म का उल्लेख करते हैं। वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में होने वाले उन तमाम परिवर्तनों के खिलाफ विश्व मीडिया मुखर रही है लेकिन हाल के दिनों में यह ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों के निशानों पर है। वर्तमान सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नवीनतम 'द इकोनॉमिस्ट' अखबार का एक लेख है, जिसमें भारत की सरकार अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है, और कभी-कभी अल्पसंख्यकों से घृणा को प्रोत्साहित भी करती है, शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया है। समाचार के शीर्षक पर खरा उतरते हुए, द इकोनॉमिस्ट ने भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया है। लेख में विशेष रूप से ईसाई और मुसलमानों को अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बताया गया है। अपनी बात को साबित करने के लिए, लेख में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया है। यूसीएफ एक कथित विद्वानों का समूह है, जो ईसाइयों के लिए एक हॉटलाइन चलाता है, जिसमें ईसाइयों को धर्म के प्रति कटट्रता सिखाई जाती है।

चूंकि लेख का मूल तर्क यूसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए यूसीएफ कीप्द विश्वसनीयता कहां खड़ी है, उसे खुद परखा या जाना जा सकता है। यूसीएफ ने वर्ष 2020 के दौरान अपनी वेबसाइट पर ईसाइयों के खिलाफ कथित लक्षित हिंसा और शत्रुता की 122 घटनाओं का विवरण जारी किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी पर यदि भरोसा करें तो 23 (18.85 प्रतिशत) घटनाएं ही वास्तविक हैं। 42 (34.42 प्रतिशत) घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया था, शेष 57 (46.73 प्रतिशत) घटनाएं हुई ही नहीं है जिसे इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है।

जरा इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहराई से पड़ताल करें। मिर्जापुर गांव, बोकारो, झारखंड की एक ईसाई महिला को यूसीएफ द्वारा (2021) ईसाई विरोधी धर्मयुद्ध की शिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उसे उसके धर्म के लिए सताया गया बताया गया है। मामले के सत्यापन में वह एक पारिवारिक मुद्दा पाया गया, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और महिला ने अपने धर्म का खुलकर पालन करना जारी रखे हुए है। एक अन्य मामले में, यूसीएफ ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में एक पादरी को प्रार्थना करने से रोक दिया गया और हिंदुत्व चरमपंथियों द्वारा जेसीबी का उपयोग करके उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया। यह घटना 2019 का बताया गया है। इस घटना के सत्यापन में भी वह मामला पादरी और एक हिंदू परिवार के बीच भूमि विवाद का निकला। यूसीएफ द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं पर नजदीकी नजर डालने से पता चलता है कि उनमें से अधिकतर घटनाएं सांप्रदायिक के बजाय आपराधिक प्रकृति की पायी गयी। कुछ गुप्त उद्देश्यों से कारण यूसीएफ ने सभी आपराधिक मामलों को ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो झूठा है और हिंदुओं और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का लक्षित षडयंत्र हैं।

यूसीएफ की विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा अपने टोल फ्री नंबर के बारे में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किए गए पोस्टर/पम्पलेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित गलत जानकारी दी गयी है। पैम्फलेट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आपातकालीन फैसला सुनाया है, ''यदि कोई धर्म के नाम पर ईसाइयों को परेशान करता है, या उन पर हमला करता है, तो दस साल की जेल होगी।'' एक साधारण गूगल सर्च से पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला कभी सुनाया ही नहीं। अपने देश में भारतीय अपराध संहिता के द्वारा अपराधों का वर्गीकरण किया जाता है। उसमें दर्ज धारा 295, 295ए, 153ए हैं, धार्मिक मामलों के विवाद के लिए दंड तय करता है, उसमें क्रमशः 2 साल, 3 साल और 5 साल की जेल की सजा की की बात कही गयी है। इस प्रकार के अपराधों के लिए तो भारत में 10 साल की सजा का तो कहीं विधान ही नहीं है। यूसीएफ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के साथ अक्तूबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने जनवरी से अक्तूबर तक ईसाइयों पर हमले की 305 व्यक्तिगत घटनाओं का दावा किया। पूछताछ करने पर, यूसीएफ केवल 92 घटनाओं (केवल 30 प्रतिशत) का विवरण ही प्रदान करने में अपनी सक्षमता दिखाई। इन 92 घटनाओं में से केवल 34 की सच्चाई सिद्ध हो पायी है। बाकी या तो झूठी थीं या गलत तरीके से पेश की गयी थी। दिसंबर 2021 में यूसीएफ द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट में, ईसाइयों के खिलाफ 486 घटनाओं की सूचना दी गई थी परन्तु इस बार भी यूसीएफ केवल 258 मामलों के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत किया। इन 258 मामलों में से अधिकांश बाद में मामूली या छिटपुट प्रकृति के निकले जिसमें पुलिस ने उचित प्रक्रिया कर हिंदू कार्यकर्ताओं सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की।

ईसाई विरोधी हिंसा पर आंकड़ों तक पहुंचने के लिए यूसीएफ द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट (mapviolence.in) फिलहाल बंद बताया जा रहा है। वेबसाइट पर जाने पर बताया जाता है कि इसे तत्काल मेंटेनेंश मोड में रखा गया है। यूसीएफ के फेसबुक पेज पर पिछले दो वर्षो में केवल एक पोस्ट डाला गया है। यूसीएफ द्वारा दी गयी आंकड़ों को चुनौती देने के लिए कोई भी प्लेटफार्मो मौजूद नहीं है। मसलन यूसीएफ भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का दावा करता रहेगा, जिसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। आम आदमी को इससे वाकफ होना चाहिए। हमारे देश की मीडिया को भी पश्चिमी और ईसाई परस्थ मीडिया से सावधान रहना चाहिए। इस रिपोर्ट पर प्रचार से यह साबित हो गया है कि पश्चिमी समाचार माध्यम साम्राज्यवादी पूंजीवादी हथकंडा के अलावा और कुछ भी नहीं है।

भारत आकार में संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ा बड़ा है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के लगभग 3 गुना से भी अधिक है। 27.8 मिलियन ईसाई (2011 की जनगणना) भारत में रहते हैं। यदि यूसीएफ द्वारा वर्ष 2021 के लिए ईसाई उत्पीड़न पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को मूल्यांकन किया जाए तो यह कुल ईसाई आबादी का 0.00175 प्रतिशत बनता है। हालांकि, निहित स्वार्थ वाले संगठन/पार्टियां इन नकारात्मक पहलुओं को उजागर करने पर आमादा हैं, जबकि इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि शेष 99.99825 प्रतिशत ईसाई भारत में शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये शक्तियां इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप आखिर करते क्यों हैं? इसके पीछे के हेतु को समझने की जरूरत है।

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

भारतीय कृषि का स्वर्णिम अध्याय लिख रही है पीएम-किसान स्कीम

–नरेंद्र सिंह तोमर–
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
भारत सरकार

देश में किसान कल्याण का ध्येय रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषि क्षेत्र के विकास की अहम धुरी बन चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान रहा है। हमारे देश की वित्तीय और सामाजिक बनावट में कृषि क्षेत्र का महत्व अलग ही प्रदर्शित होता है। देश की खाद्य सुरक्षा अनाज उत्पादन पर निर्भर करती है। इस दिशा में उपयोगी, विस्तारित और व्यावहारिक कृषि क्षेत्र त्वरित गति से विकसित होना चाहिए, इस संकल्पना को मोदी जी की सरकार ने साकार किया है।

अपने किसानों को जलवायु की चुनौती से बचाने के लिए, हमारा फोकस बैक टू बेसिक्स और भविष्य की ओर ले जाने का मिश्रण है। केंद्र सरकार का फोकस देश के 80 फीसदी से ज्यादा छोटे किसानों पर है, जिन्हें सरकार की किसान हितैषी नीतियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहीं वजह है कि पिछले सात साल से ज्यादा के मोदी सरकार के दो कार्यकाल में इन्हीं छोटे किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाकर योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया गया है। हाल ही में संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 ने भी कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जैविक खेती व डिजिटल कृषि प्रथाओं को अपनाने सहित कृषि क्षेत्र पर पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ, भारत सरकार को इसे क्रॉस-कंट्री वेंचर के रूप में निष्पादित करने की आवश्यकता थी और भारत के वर्ष 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनूठी पहल की गई। देशभर में सभी भूमिधारक किसान परिवारों को राजस्व समर्थन देकर किसानों की सहायता का विस्तार करने के लिए, उन्हें कृषि, बागवानी और संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ी लागतों के खर्च से निपटने के लिए सशक्त बनाने हेतु यह आवश्यक था।

किसान परिवारों के लिए पूरक आय सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को किसानों के कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी योजना-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में एक करोड़ से अधिक किसानों को, प्रत्येक लाभार्थी को दो-दो हजार रूपये की पहली किस्त हस्तांतरित करके शुभारंभ किया था। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए इसे विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से अपार समर्थन मिला है।

पहले साल, 2018-2019 के लिए, इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब तक 11.30 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से 100% त्रुटि मुक्त, सत्यापित और वैध डेटा प्राप्त करने के बाद योजना का लाभ देते हुए कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। ब्ट्प्क अवधि के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है।

पीएम-किसान योजना को इसके आकार, तौर-तरीकों और तंत्र में निरंतर सुधार/परिवर्तन के साथ लागू किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ के सुचारू और त्वरित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन लागू किए गए हैं। स्थिति के अनुसार, योजना के संचालन दिशा-निर्देशों को भी समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जिसमें सभी प्रमुख राज्यों ने अपने किसानों के कल्याण के लिए इस नेक काम में योगदान दिया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक पात्र किसान परिवार को पीएम-किसान के तहत पंजीकृत कर शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों के पंजीकरण व भौतिक सत्यापन के लिए मंत्रालय द्वारा किए विश्लेषण के आधार पर संतृप्ति अभियान चलाने को कहा गया है।

योजना के तहत नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होता है। इसके अलावा फार्मर्स कॉर्नर के वेब पोर्टल पर विशेष सुविधा दी गई है, जिससे किसान पंजीकरण करा सकते हैं। इससे किसान आधार कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डाटाबेस में नाम संपादित कर सकते हैं व भुगतान की स्थिति जान सकते हैं। लाभार्थियों का ग्रामवार विवरण फार्मर्स कॉर्नर पर उपलब्ध है। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को मामूली शुल्क पर किसानों को योजना के लिए पंजीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। PM-KISAN APP भी है, जिसे अब तक 60 लाख से अधिक ने डाउनलोड किया है। इससे किसान नामांकन करा सकते है व आधार डिटेल सही कर सकते है। इसमें हेल्प डेस्क सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे किसान समस्या दर्ज करा सकते है। ये सुविधाएं CSC VLEs के जरिये भी उपलब्ध हैं। अब तक लगभग 1 करोड़ किसानों का नामांकन, 10.83 लाख की समस्याओं का निदान व 1.34 करोड़ किसानों के आधार डिटेल में सुधार इसके माध्यम से हो चुका है। PM-KISAN 24X7 हेल्प लाइन 155261 में संपर्क कर किसान क़िस्त हस्तांतरण की जानकारी ले सकते हैं।

PM-KISAN सिस्टम को थर्ड पार्टी इंटिग्रेशन द्वारा UIDAI, इनकम टैक्स एंड पेंशनर डाटाबेस से जोड़ा गया है। इससे अपात्र व्यक्तियों की पहचान करके, लाभार्थियों की सूची से हटाया जाता है। इससे सही एवं कुशल सेवा वितरण में सहायता प्राप्त होती है। PM-KISAN लाभार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को 36 प्रतिशत अधिक अपनाया, जिसका अर्थ है कि PM-KISAN की उपस्थिति KVK पर आवर्धन प्रभाव डालती है। यह पुष्टि करता है कि KVK के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने में PM-KISAN की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बदले में किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्पादक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रदान करती है।

कोविड महामारी के दौरान जहां एक ओर देश-दुनिया के बाकी सारे काम ठप पड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों-बहनों के अथक परिश्रम व सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम-किसान के तहत नकद हस्तांतरण प्राप्त करके किसानों को बीज, उर्वरक आदि आदान के लिए सहायता हुई ।

कई राज्यों के लाभार्थियों से सीधे बातचीत में यह जाहिर हुआ है कि पीएम किसान ने स्कीम किस तरह से किसान परिवारों को काफी लाभान्वित किया है। किसान, भारत सरकार की इस प्रतिष्ठित योजना को खुले दिल से सराह रहे हैं। तीन किस्तों में दिया जाने वाला भारत सरकार का यह लाभ न केवल किसानों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करता है बल्कि उन्हें अपने खेतों में सकारात्मक तरीके से काम करने की प्रेरणा भी देता है। पीएम किसान से समय पर मिलने वाले लाभ से न केवल उन्हें समय पर खेती करने में मदद मिलती है बल्कि समय पर उपज बाजार में बेचकर उचित दाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही, उधारदाताओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने से बचने में मदद मिलती है।

पीएम-किसान का महत्व यह है कि पहली बार मूल्य नीति (इनपुट या आउटपुट) का उपयोग किए बिना किसानों को सीधे आय हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया है। यह छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करता है, जो बड़े पैमाने पर निर्वाह खेती में शामिल हैं और कृषि इनपुट या प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह व्यापक ग्रामीण विकास एजेंडा के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में काम कर सकता है, जिसमें कृषि पर ध्यान केंद्रित करने वाली गरीब-समर्थक विकास रणनीति शामिल है।

राज्यों में नकद हस्तांतरण के वितरण से पता चला है कि आपातकालीन राहत पैकेज भारतीय समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर, करोड़ों किसान परिवार प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण से लाभान्वित हुए, जिसमें पूरी पारदर्शिता है। इतना बड़ा ये लाभ कम अवधि में समाज के कमजोर वर्गों के एक बड़े हिस्से को राहत प्रदान करता हैं। यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक योजना के माध्यम से भारतीय कृषि और किसानों की प्रगति का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है।

कभी भी और कहीं भी बैंकिंग सुविधा:ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलते डाकघर

गौतम भट्टाचार्य
पूर्व सिविल अधिकारी

वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में कहा कि देश के 1,50,000 डाकघर 'कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जायेंगे, जो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग व एटीएम के माध्यम से बैंक-खातों तक पहुंचने तथा वित्तीय समावेश की सुविधा प्रदान करेंगे एवं डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन अंतरण को संभव बनायेंगे।' डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच अंतर-संचालन की घोषणा, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में युवा पीढ़ी की लंबे समय से प्रतीक्षित आकांक्षा 'बैंकिंग सुविधा, कभी भी कहीं भी' के लिए आशा की नयी किरण के समान है। कभी भी, कहीं भी बैंकिंग (खाताधारक को देश में कहीं से भी बैंक-कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है, चाहे उसका डाकघर या उसकी बैंक-शाखा किसी भी जगह पर स्थित हो और उस कार्यालय का कार्य समय, चाहे कुछ भी हो।

शहरी भारत कई सुविधाओं, जैसे एटीएम, धनराशि का तत्काल अंतरण, सममूल्य पर चेक आदि के माध्यम से इस अवधारणा से अच्छी तरह परिचित है। लगभग डेढ़ दशक पहले, कभी भी, कहीं भी बैंकिंग पर आधारित कार्यशैली को भारत के अधिकांश पीएसयू बैंकों द्वारा लागू किया गया था। हम एक कदम और आगे बढ़ने में सफल हुए, जब आरबीआई द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने सभी खुदरा लेन-देन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) विकसित किया। शहरी भारत के ग्राहक अब टैक्सी-चालक को भुगतान कर सकते हैं, किराने की दुकान में अपने बकाये की रकम जमा कर सकते हैं, धोबी को सीधे अपने बैंक-खातों से भुगतान कर सकते हैं, शर्त केवल यह है कि दोनों के पास स्मार्टफोन हों और उनके बैंक खाते फोन से जुड़े हों। हालांकि, इस दौरान ग्रामीण भारत में, जहाँ ज्यादातर बैंक-कार्य डाकघर खातों के माध्यम से किये जाते हैं, बैंकिंग अपने पारंपरिक तरीकों से चलती रही।

भारत में प्रमुख सार्वजनिक बैंकों द्वारा सीबीएस शुरू करने के लगभग एक दशक बाद, यानि 2014 के आसपास, करीब 25,000 विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) पर काम की शुरुआत हुई। 2018 तक, लगभग 85 प्रतिशत डाकघरों को सीबीएस के तहत लाया गया, लेकिन शेष डाकघरों में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। उस वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू हुआ था। 1,30,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों को सीबीएस डाकघरों के साथ एकीकृत करना। ग्रामीण शाखा कार्यालय दिन में चार से पांच घंटे खुले रहते हैं और प्रखंड या तालुका मुख्यालय में स्थित निकटतम विभागीय कार्यालयों के विस्तार काउंटर की तरह काम करते हैं। इन कार्यालयों का संचालन ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) द्वारा किया जाता है। इन शाखा कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर से जोड़ने के लिए सिम आधारित हथेली के आकार के छोटे (हैंडहेल्ड) उपकरण प्रदान किए गए थे। संचालन कार्य के लिए लगभग 2 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

2021 तक एकीकृत कोर बैंकिंग प्रणाली से लगभग 93 प्रतिशत डाक नेटवर्क जुड़ गया। इससे एमजी-नरेगा के भुगतान, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण पीएलआई आदि के प्रीमियम के संग्रह सहित विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सुविधा मिली। ग्रामीण डाक सेवकों ने ग्रामीण शाखा डाकघरों के खाताधारकों के बीच डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में पिछले तीन वर्षों में ऐसे कार्य किये हैं, जिन्हें चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है। भारतीय डाक की वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार, कुल 53,584 करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऑनलाइन लेन-देन ग्रामीण शाखा डाकघरों में इन हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से पूरे किये गए।

हालांकि इसके प्रभाव का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि देश की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ 1,30,000 ग्रामीण शाखा डाकघरों का एकीकरण (ग्रामीण भारत पर वैसा ही असर डालेगा, जैसा 1980 के दशक के मध्य में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण बुकिंग की सुविधा से शहरी भारत पर पड़ा था। लगभग चार दशक पहले शहरों और कस्बों के लोगों ने कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की बहुत सराहना की थी। ग्रामीण डाक सेवकों के पास ज्ञान और विश्वसनीयता है, जिसकी सहायता से वे ग्रामीण लोगों को डिजिटल लेन-देन के लिए बढ़ावा दे सकते हैं।

हालांकि, पहली बार में अंडमान और निकोबार के दूरदराज के द्वीपों एवं हिमालय की अधिक ऊंचाई पर स्थित कई डाकघरों को सीबीएस में एकीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि इंटरनेट की स्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अंडमान और निकोबार के विभिन्न द्वीपों को हाल ही में चेन्नई के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसे समुद्र तल पर बिछाया गया है। इसने दूरदराज के द्वीपों में स्थित कार्यालयों को सीबीएस के साथ एकीकृत करने की सुविधा प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों की इन सभी पहलों के आधार पर सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस वर्ष के अंत तक सभी डाकघरों का कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकरण पूरा कर लिया जाएगा।

पहले डाकघर खाताधारक अपने खाते से किसी बैंक खाते में और किसी बैंक खाते से डाकघर खाते में धनराशि अंतरण नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डाकघर बचत योजना खातों के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस जैसी अंतर-बैंक लेन-देन सुविधाओं की अनुमति दी है। यह डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन के ऑनलाइन अंतरण को सक्षम बनाएगा। यह अंतर-संचालन, बैंक के खाताधारक को उसके पीपीएफ खाते या डाकघर के सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए) में धनराशि अंतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में ग्राहकों की उम्मीदें तेजी से बदल रही हैं। डाकघर बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप आधुनिक बनना होगा। डाकघर खाते के ग्राहक के पास निकटतम विभागीय डाकघर जाने, बचत प्रमाणपत्र खाते खोलने/बंद करने या पीपीएफ, एमआईएस या वरिष्ठ नागरिक खाता खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक ग्रामीण के लिए इसका मतलब था-एक दिन का नुकसान और परिवहन खर्च। आज भी डाकघर में बचत खाता खुलवाने पर ग्राहक को एटीएम कार्ड या चेकबुक के लिए अनुरोध करना होता है। इस तरह की जरूरी सुविधाएं, खाताधारक को शायद ही कभी अपने-आप दी जातीं हैं। डाक विभाग द्वारा सममूल्य-चेक की सुविधा को भी लागू करने की आवश्यकता है। आशा की जाती है कि डाकघर की उन्नत नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग प्रणाली (किसी भी समय, कहीं से भी बैंकिंग के कार्यान्वयन से जुड़ी सभी कमियों को दूर करेगी और इस लक्ष्य को सही अर्थों में हासिल करेगी।

कोई भी नागरिक पीछे न छूटे–केंद्रीय बजट 2022–23 का मूल तत्व

डॉ. नागेंद्र नाथ सिन्हा
सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार

केंद्रीय बजट 2022-23 ने आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण-अनुकूल और सतत दृष्टिकोण के साथ सूक्ष्म कल्याण पर ध्यान देते हुए वृहद् स्तर पर विकास हासिल करने की योजना बनाई है। भारत महामारी की चुनौतियों को पीछे छोड़ने और ग्रामीण भारत को तेजी से प्रगति के लिए तैयार करने की मजबूत स्थिति में है। 2022-23 का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण गरीबों को आजीविका प्रदान करने पर केंद्रित है। बजट में जलवायु के अनुकूल आवास, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तथा डिजिटल इन्फो-वे के विस्तार पर ध्यान देने के साथ आजीविका, आधारभूत अवसंरचना तक पहुंच का आश्वासन दिया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को सुदृढ़ करना

माननीय प्रधानमंत्री के विजन-ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन में आसानी और कोई भी नागरिक पीछे न छूटे-को साकार करने का केंद्र बिंदु गुणवत्तापूर्ण आजीविका को सर्व-सुलभ बनाना है। इस विजन के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2022 (भारत/100 के लिए एक महत्वाकांक्षी आधारशिला रखता है, जिसमें अवसंरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाले कारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है- पूंजीगत व्यय के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिसमें पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए पूरक आवंटन, सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा का प्रसार, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण आदि शामिल है। हर घर नल से जल, पीएम आवास योजना, हर घर उज्ज्वला, सौभाग्य आदि कार्यक्रमों ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध धनराशि के साथ, पंचायतों को पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपये का अनुदान-ये जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के अभूतपूर्व प्रयास हैं, जो ग्राम पंचायतों को लोगों तक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय 'सार्वजनिक सेवाओं' के प्रदाता के रूप में सक्षम बनाएगा। नागरिक सेवाओं में हो रहे सुधार के साथ हम जल्द ही बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाले गांवों को देखेंगे।

आवास, पाइप से जलापूर्ति, सड़क और इन्फो-वे कनेक्टिविटी के सार्वभौमिक कवरेज का ग्रामीण नौकरियों पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजीविका के अवसरों के तेजी से सृजन की योजना बनाई है और अगले 3 वर्षों में 2.5 करोड़ आजीविका के मौकों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022-23 में, ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के मांग-आधारित पूरक आवंटन के साथ कुल 1,35,944 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं- पिछले 7 वर्षों में ग्रामीण अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। मनरेगा ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास में 100 दिनों तक का रोजगार प्रदान करता है और इसके तहत परिवारों की आजीविका गतिविधियों का समर्थन करने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक संपत्ति का निर्माण किया जाता है और डीएवाई-एनआरएलएम महिलाओं की आजीविका गतिविधियों के लिए सामुदायिक समूहों की ताकत का लाभ उठाता है, ताकि पारिवारिक आय में वृद्धि हो सके। एनएसएपी, डीडीजीकेयूवाई के साथ मंत्रालय 2030 के एसडीजी लक्ष्यों से बहुत पहले (विविध और लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को खत्म करने की सकारात्मक स्थिति में है।

महामारी के दौरान प्रशासन से संबंधित पंचायतों और महिला समूहों के बीच नए गठबंधन की शुरुआत हुई है, हमने पंचायत योजना के साथ आजीविका योजना प्रक्रिया के एकीकरण के लिए उपाय किए हैं, जिससे दोनों पारस्परिक रूप से मजबूत हुए हैं और सभी परिवारों को विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को शामिल करना सुनिश्चित हुआ है। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत-मुक्त ऋण को 10 लाख रुपये से दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया है। अब सरकार यह सुनिश्चित करने की भी योजना बना रही है कि एसएचजी को बिना किसी परेशानी के अपनी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ऐसे ऋण मिल सकें। डिजिटल लेन-देन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार और वित्तीय समझ (इन प्रयासों के प्राथमिक लक्ष्य हैं। कार्य का नया और अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होगा-उद्यम शुरू करने वाले एसएचजी सदस्यों के लिए ऋण जुटाना। वर्तमान में डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को-मिशन द्वारा महिला संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से- पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है। (2013-14 से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण महिला एसएचजी द्वारा जुटाया गया है)। इसके अलावा, समन्वय के हाल के प्रयासों के परिणामस्वरूप मनरेगा से परिसंपत्ति समर्थन, डीडीजीकेयूवाई के तहत कौशल/प्रौद्योगिकी सहायता तथा पीएमएफएमई और विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा समर्थन मिला है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के सदस्य आजीविका को सुदृढ़ बनाने में सक्षम हुए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक और डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएल आरएमपी) भी एक बड़ा बदलाव लायेगा और ग्रामीण विकास में तेजी लायेगा, क्योंकि बजट 2022-23 में इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना आवंटन में 64 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और मनरेगा के साथ समन्वय से जलवायु अनुकूल भविष्य की आजीविका सुनिश्चित होगी। डीआईएलआरएमपी डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में शामिल हैं। (i) सभी मौजूदा भूमि रिक र्ड का कम्प्यूटरीकरण, (ii) नक्शों का डिजिटलीकरण, (iii) सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण और बंदोबस्त के सभी रिकॉर्ड को अद्यतन करना एवं (iv) पंजीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण और भूमि रिकॉर्ड रख-रखाव प्रणाली के साथ इसका एकीकरण।

कोई भी नागरिक पीछे न छूटे और जीवन यापन में आसानी

सरकार ने रेखांकित किया है कि सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत संरचना-आधारित सामाजिक विकास प्रयासों को विस्तार देना बहुत महत्वपूर्ण है। एसएचजी महिलाओं के सन्दर्भ में जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता व लैंगिक मुद्दों से संबंधित सेवाओं के प्रति जागरूकता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय ने अब अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों का समर्थन करने के लक्ष्य के लिए समग्र ग्रामीण विकास (डब्ल्यूआरडी) दृष्टिकोण अपनाया है। एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से आजीविका योजनाओं और कार्यक्रमों की आपूर्ति का एक सहज मिलान करना होगा-कौशल, परिसंपत्ति, सेवाएं और संसाधन (समुदाय की मांगों के साथ उपलब्ध किए जाने चाहिए। सीएसओ तथा स्टार्टअप सहित कृषि क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी और गठबंधन पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, जो सार्वजनिक इकोसिस्टम से अलग उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और अन्य सेवाओं के साथ मूल्य श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारों के सभी स्तर और संबंधित क्षेत्र अपनी सफलता के एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में अतिरिक्त आजीविका विकास को अपनायें। इसके अलावा, उद्यम विकास के लिए बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली भी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाएं।

सौभाग्य से, गरीबी-उन्मूलन की व्यापक रणनीति के एक घटक के रूप में उपरोक्त अधिकांश संरचनायें तैयार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अन्य उपायों के साथ, सरकार (जन धन खाताधारकों और अन्य गरीबों तक अपनी पहुंच का विस्तार करके खाद्यान्न और नकद सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा पात्रता जैसे राशन कार्ड को प्रशासनिक सीमाओं के साथ-साथ राज्यों के बाहर भी उपयोगी बनाने के लिए कदम उठा रही है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को सीधे समर्थन, पूंजीगत व्यय और सूक्ष्म स्तर के कल्याण कार्यक्रमों पर रणनीतिक ध्यान देने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की एक विवेकपूर्ण रणनीति का पालन किया गया है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन यापन को आसान बनायेगा।

कुशल श्रमशक्ति, गति प्रदान करने वाली असली शक्ति

प्रो. आदित्य गुप्ता
आईआईएम बैंगलोर

मार्च 2020 से लेकर मई 2020 तक के पूर्ण लॉकडाउन को जरा याद कीजिए। केवल दो चीजें ऐसी थीं जिसने जिंदगी को गतिशील बनाये रखा- एक डेटा-समर्थ इंटरनेट कनेक्शन और घर पर प्राप्ति के माध्यम से सब्जियों और किराने के सामानों का वितरण। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कभी बंद नहीं हुई। इन सबके पीछे लॉजिस्टिक्स से जुड़े हजारों गुमनाम योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सामानों को गोदामों में पैक किया और वहां से उठाया, सामानों को निकट की दुकानों तक पहुंचाया और फिर लोगों के घरों में वितरित किया। ट्रक ड्राइवरों से लेकर गोदामों में सामान उठानेवालों (पिकर) तक, कंपनी में आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) मैनेजर से लेकर लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप के सीईओ तक, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) से जुड़े पेशेवरों के एक पूरे समूह ने हर देश को कार्यशील और गुंजायमान बनाये रखा।

इतना जरूरी और अपरिहार्य क्षेत्र होने के बावजूद, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अपेक्षित सीमा तक संगठित कौशल का नितांत अभाव है। हमारे एमबीए की पढ़ाई के दिनों में, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) प्रबंधन को एक विषय के तौर पर भी नहीं रखा गया था। अब यह एक विषय के रूप में रखा गया है। यह एक अलग बात है कि अभी भी अधिकांश एमबीए स्कूलों में इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में ही शामिल किया गया है। ड्राइवरों को अभी भी ड्राइवर-हेल्पर वाली पद्धति के माध्यम से ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। गोदामों (वेयरहाउसिंग) से जुड़ा कामकाज पूरी तरह से काम के दौरान सीखने (ऑन-द-जॉब लर्निंग) वाला मामला है। एक अनुमान के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दो करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं जोकि इसे कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है। दुर्भाग्य से, इनमें से बहुत कम प्रतिशत लोग ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं। अधिकांश लोगों ने तो काम करने के दौरान कौशल हासिल किया है।

लॉजिस्टिक्स संबंधी कौशल ने अब अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचा है, और पिछले दशक में लॉजिस्टिक्स संबंधी कौशल के निर्माण में खासी प्रगति हुई है। भारत में लॉजिस्टिक्स संबंधी कौशल विकास से जुड़ा वर्तमान परिदृश्य निम्नलिखित है:

लॉजिस्टिक्स कौशल परिषद (लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (एलएससी) का गठन समग्र समाधान उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत एक शीर्ष उद्योग निकाय के रूप में किया गया था। एलएससी ने 11 उप-क्षेत्रों की पहचान की है और वह इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) संस्थान: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जिसका शुभारंभ 2015 में किया गया था, के तहत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाओं वाली नौकरियों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) के अनुरूप प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं।

प्रशिक्षुता-युक्त पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम (अप्रेंटिसशिप-एम्बेडेड अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम): एलएससी की पहल के तहत, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स संबंधी कौशल को एकीकृत करने के उद्देश्य से कई उच्च शिक्षा संस्थान स्नातक स्तर से नीचे के छात्रों के रोजगार कौशल को बढ़ाकर उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने के इरादे से अब प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप)-आधारित बी.ए/बी. कॉम की डिग्री की पेशकश कर रहे हैं।

विशिष्ट संस्थान: अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए मानव संसाधन तैयार करने हेतु नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट (एनआईएनआई), रेलवे लोकोमोटिव ड्राइवरों के लिए क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान और लंबी दूरी के गन्तव्यों तक चलने वाले सड़क ड्राइवरों के लिए टाटा मोटर्स चालक प्रशिक्षण संस्थान जैसे विशेष संस्थान हैं, जो विशिष्ट भूमिकाओं वाली नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करते हैं।

गतिशक्ति परियोजना के शुभारंभ के साथ, भारत अपने परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में लंबी छलांग लगाने का प्रयास कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला जैसी परियोजनाएं भारत में परिवहन से संबंधित परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही हैं।

उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग: छात्रों को पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण संबंधी सामग्री को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद रोजगार पाने के योग्य बन सकें। इस प्रकार, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नौकरियों का आश्वासन दिया जा सकेगा और उद्योग जगत को प्रशिक्षित श्रमशक्ति का एक पूल निरंतर मिल सकेगा, जिससे सभी पक्षों को लाभ होगा।

श्रमशक्ति के कौशल का संवर्धन: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा श्रमशक्ति के कौशल को इस क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संवर्धित करने की आवश्यकता है। कौशल संवर्धन में छोटे निवेशों का उपयोग करके बड़े लाभ प्रदान करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक गोदाम में बेहतर प्रबंधन के लिए मौजूदा कर्मचारियों के कौशल को अन्य बातों के अलावा स्वचालन, सुरक्षा संबंधी जरूरतों, डब्ल्यूएमएस और अनुपालन के मामले में संवर्धित किया जा सकता है।

योग्यता संबंधी मानकों का अनिवार्य कार्यान्वयन: आज लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों के पास इस क्षेत्र से संबंधित कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। रोजगार के लिए योग्यता को पूर्व-शर्त बनाना जरूरी है। यह योग्यता रोजगार की किस्मों के आधार पर कोई प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है, लेकिन इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों, को किसी उद्योग में प्रवेश करने से पहले अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मातृभाषा में पाठ्यक्रम: लॉजिस्टिक्स उद्योग में प्रवेश करने वाली लगभग दो-तिहाई श्रमशक्ति ने अपनी शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की है। लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यों को करने के लिए अंग्रेजी में संवाद करने की क्षमता की जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स से जुड़े पाठ्यक्रमों को कई भाषाओं में तैयार और प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपनाया जा सके और वे कुशल बन सकें।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण: हमें प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक ऐसे शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान की जरूरत है जो सभी लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को ठीक वैसे ही प्रशिक्षित करे जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बाकी सभी बैंकों के साथ करता है। एक प्रशिक्षक के पास एक उद्योग विशेष के बारे में व्यावहारिक विशेषज्ञता होनी चाहिए और उसे इस क्षेत्र में होने वाली नवीनतम प्रगति के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षण कौशल और शिक्षण से संबंधित सूक्ष्म कौशल से निरंतर अवगत रहना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर: बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी से जूझ रहे हैं। भारत के फोर्कलिफ्ट ड्राइवरों को मध्य-पूर्व के देशों में बहुत सारे रोजगार मिलते हैं। हमें अपने छात्रों को अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षित करने और वैश्विक संस्थानों के साथ गठजोड़ करने की जरूरत है ताकि भारत की योग्यता संबंधी मानकों को दुनिया भर में स्वीकार किया जा सके और भारतीय छात्रों को विभिन्न देश में रोजगार मिल सके।

प्रशिक्षण के साजो-सामान: लॉजिस्टिक्स संबंधी कौशल सैद्धांतिक कम, व्यावहारिक ज्यादा हैं। प्रशिक्षण संस्थानों को सिमुलेटर, ड्राइविंग ट्रैक, गोदाम जैसी परिस्थितियों का निर्माण, फोर्कलिफ्ट और अन्य उपकरणों की व्यवस्था रखने की जरूरत है जोकि श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रशिक्षण के उपकरण उपलब्ध नहीं होने पर छात्र उद्योग के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे।

आने वाले वर्षों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के पास अधिकतम संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। यह क्षेत्र लगभग हर किस्म की योग्यता वाले व्यक्ति को रोजगार देने की क्षमता रखता है। जरूरत इस बात की है कि युवाओं को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार, उद्योग और संस्थान मिलकर कौशल संबंधी एक बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करें और उन्हें इस क्षेत्र में एक आकर्षक करियर की पेशकश करें।

स्काउट्स एंड गाइड्स युवाओं में नई सोच विकसित करने और अनुशासित समाज के विकास में दे रहा अहम योगदान:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि अनुशासन जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और स्काउट्स एंड गाइड्स की वर्दी इस भावना

को हमारे मन-मस्तिष्क में बिठाती है। यह अनुभूति सदैव रहनी चाहिए क्योंकि इसका समाज में भी योगदान रहता है।

राज्यपाल विश्व स्काउट दिवस और थिंकिंग डे के अवसर पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय में बीएसएंडजी हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के मुख्य संरक्षक के रूप में अपना संबोधन दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड्स की वर्दी पहनने से नई सोच विकसित होती है और विभिन्न विचारों के सृजन से एक अनुशासित समाज का विकास होता है। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अनुशासित जीवन हमें किसी भी स्थिति से धैर्यपूर्वक निपटने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि अपने पाठशाला काल में वे भी स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्य रहे हैं और ऐसे में एक स्काउट के लिए अनुशासन की महत्ता को बखूबी समझते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को इस संगठन से जोड़ने में सफल हुए हैं जो कि एक उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा पीढ़ी देश को गरिमा के साथ आगे ले जाने में पूर्णतया सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज उच्च विचारों की आवश्यकता है और इसके लिए युवाओं को विशिष्ट लक्ष्य देने होंगे और यह लक्ष्य सामूहिक तौर पर तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में निरूपित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने चाहिए और स्काउट्स एंड गाइड्स इस दिशा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1857 में आज ही के दिन स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड राबर्ट बाडेन पॉवेल का जन्म हुआ था। संयोगवश आज ही के दिन वर्ष 1889 में उनकी पत्नी और गर्ल गाइडिंग की संस्थापक ऑलिव बाडेन पॉवेल भी पैदा हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह दिन विश्व स्काउट दिवस और वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के थिंकिंग डे की विषयवस्तु हमारा विश्व हमारा समान भविष्य रखी गई है। इसके निहितार्थ यह हैं कि सम्पूर्ण विश्व का भविष्य समान है और भविष्य की सुरक्षा के बारे में हमें मिलकर विचार करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर स्काउट फाइट अंगेस्ट कोरोना तथा ऑनलाइन दक्षता विकास कार्यशाला के विजेताओं को पुरस्कृत किया।

इससे पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक एवं भारत स्काउट एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त डॉ. अमरजीत शर्मा ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और संगठन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 हजार से अधिक स्काउट्स स्वयं सेवक पंजीकृत हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिव डॉ. राजकुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय करसोग के रोवर्स और रेंजर ने एक लघु नाटिका तथा बीएल सेन्टूल पब्लिक स्कूल कुनिहार के कब्स-बुलबुल्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में भी गहन रूचि दिखाई।

शिमला नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी

जाइका के सहयोग से वन क्षेत्र को बढ़ाने पर दिया जाएगा बल:पठानिया

शिमला/शैल। ज़िला कांगड़ा के वन क्षेत्र में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे लोगों की आर्थिकी में सुधार हेतु 150 करोड़ रुपए की एक योजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के सहयोग से आरम्भ

की जा रही है। यह जानकारी वन एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए दी।

पठानिया ने बताया कि वन विभाग जल्द ही अपना एक नया नर्सरी विंग भी प्रारम्भ करने जा रहा है ताकि वन विभाग को उच्च गुणवत्ता की पौध सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा नए विंग के गठन के लिए जो भी आवश्यक है, इसमें विशेषज्ञों की भी उपलब्धता एवं स्टाफ व अन्य उपकरण और संसाधन भी तैयार कर लिए गए हैं।

वन मंत्री ने कहा कि (JICA) का सहयोग नर्सरी विंग में लिया जाएगा तथा वन क्षेत्र को बढ़ाने में भी लिया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना के तहत नूरपुर, धर्मशाला एवं पालमपुर व देहरा वन मण्डल को चयनित किया जा रहा है। योजना के तहत जिला के 63 वार्डों में स्वयं सहायता समूहों का गठन कर, लोगों की आजीविका को ऊपर उठाने एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सतत् वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्र कवर किया जाना है जिसमें घने वनों/खुले वनों का सुधार, चारागाहों का सुधार इत्यादि शामिल है। वन वृत्त और परिक्षेत्र स्तर की नर्सरियों में स्थानीय प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए मॉडल नर्सरी विकसित की जानी है।

पठानिया ने कहा कि परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए वन विभाग को सामुदायिक स्तर के संस्थानों और पी.एम.यू. कर्मचारियों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। इस घटक के माध्यम से परियोजना वन प्रबन्धन और जैव विविधता संरक्षण दोनों के लिए एमआईएस/ जीआईएस के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने वाली सहायता का प्रभावी उपयोग या निगरानी तंत्र में सुधार का संवर्धन करेगी। पी.एम.यू. स्तर पर एक विशेष जड़ी-बूटी सेल का गठन किया गया है जो वन क्षेत्रों से एनटीएफपी की विशेष रूप से औषधीय पौधों के अस्थिर निष्कर्षण का विनियमित करना, कुछ पहचान प्रजातियों के एक्स सीटू प्रचार का मानकीकरण किया जा सकता है जो युवाओं को स्थायी आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करने के लिए सहायक होगा। प्रस्तावित समूहों में कलस्टर स्तर 'हिम जड़ी बूटी सहकारी समितियों' के गठन का समर्थन करना है।

इस दौरान जाइका वानिकी परियोजना 2021-22 पुस्तक एवं लैटाना घास निवारण कलेण्डर का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर विधायक विशाल नैहरिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, मीडिया कॉडिनेटर विश्व चक्षु, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश गुलेरिया सहित विभाग के अन्य अधिकारी

ऑटो विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर

महेंद्र नाथ पाण्डेय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री

ऑटो उद्योग: उन्नत, नई और स्वच्छ तकनीक की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन सरकार भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला क्षेत्र बनाने के प्रयास कर रही है। सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र और एकीकृत योजना तैयार की है जिसमें अनुपालन को कम करना, कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स ढांचे का निर्माण करना और इन सबसे बढ़कर उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल हैं। इनपीएलआई योजनाओं का उद्देश्य महंगे उत्पादों के लिए उद्योगों को क्षतिपूर्ति करना हैं क्योंकि उत्पादों का महंगा होना इस उद्योग के बड़े पैमाने पर विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है।

हमारा ऑटो उद्योग(पीएलआई स्कीम के लिए चिह्नित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो विनिर्माण की रीढ़ है और जिसे अक्सर सनराइज सेक्टर तथा चौंपियन सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बैकवार्ड और फारवार्ड लिंकेज काफी गहरे होते हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र का कामकाज मूलत: भारी उद्योग मंत्रालय देखता है, इसलिए हमने इस क्षेत्र के लिए ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाई हैं जिनसे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले और भारत विश्व में ऑटो निर्माण में अग्रणी बन सके।

हमने इस उद्योग की मुख्य समस्याओं को समझने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श किया और फिर ऐसी नीतियां तैयार कीं जिनसे भारत उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों, उन्नत रसायन सेल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ वाहनों के उत्पादन में अग्रणी बन सके।

पीएलआई स्कीम के तहत ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रूपए, उन्नत रसायन सेल के लिए 18,100 करोड़ रूपए और हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण यानी फेम स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रूपए यानी कुल मिलाकर लगभग 54,000 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ऑटो उद्योग में लागत अधिकता पर काबू पाना और इस उद्योग को इन क्षेत्रों में अग्रणी बन सकने योग्य बनाना है। इन योजनाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स (ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) और सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन स्कीमों के जुड़ जाने से ऑटो उद्योग को और अधिक फायदा होगा और भारतीय तथा विदेशी बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑटोमोटिव उत्पादों की आपूर्त-श्रृंखला मज़बूत हो सकेगी।

ये योजनाएं देश को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन-आधारित ऑटोमोबिल परिवहन प्रणाली की तुलना में पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, टिकाऊ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी क्योंकि जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को फेम योजना के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के माध्यम से ऑटो सेक्टर और उन्नत रसायन सेल के लिए आपूर्ति पक्ष को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ऑटो पीएलआई स्कीम शुरू करने से पहले, उद्योग जगत के साथ शुरुआती परामर्श से हमें यह समझने में काफी मदद मिली कि आंतरिक अक्षमता, प्रौद्योगिकीय कमी, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के अभाव और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के उत्पादन की लागत 15% बढ़ जाती है। इसलिए, मंत्रालय ने ऐसी योजना बनाई है जिससे पात्र कंपनियां 18 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं।

इस नीति को लागू करने के बाद मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों, नीति आयोग और ऑटो क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ गोवा में एक सत्र का आयोजन किया था। सत्र के दौरान उद्योग से प्राप्त प्रशंसा और सराहना असाधारण रूप से उत्साहजनक थी जिससे हमें विश्वास हुआ कि हम अपने वादों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं और ऑटो उद्योग इस नीति से बहुत लाभान्वित होगा। इस योजना के तहत रिक ई 115 आवेदन प्राप्त हुए जो इस योजना को मिली अभूतपूर्व सफलता की एक और पहचान है। ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर सरकार का खर्च 25,938 करोड़ रूपए आएगा। लेकिन इससे इस उद्योग में नए निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। रोज़गार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे, सो अलग।

इससे ऑटोमोबाइल उद्योग को उच्चतर उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी और हम ग्लास्गा शिखर सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकेंगे। हमने हाल ही में उन 20 आवेदकों की सूची जारी की है जिन्हें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना की चौम्पियन ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) स्कीम के तहत लाभ दिया जाना है। इस योजना पर 45,016 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। जिन ओईएम को चौम्पियन माना गया है, उनमें से 10 ओईएम यात्री वाहन निर्माता हैं और व्यावसायिक वाहन बना रहे हैं। इनमें चार ऐसे ओईएम भी हैं जो दुपहिए और तिपहिए वाहन बना रहे हैं जबकि 6 ओईएम ऐसे हैं जो गैर-ऑटोमोटिव निवेशक हैं। हमारा मंत्रालय अब (चौंपियन कंपोनेंट प्रोत्साहन योजना) के तहत प्रोत्साहन पाने वालों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। हम इसे जल्दी ही जारी करेंगे।

ऑटो उद्योग इस समय अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और सरकार ऐसी नीतियों और योजनाओं पर काम करने के प्रति कटिबद्ध है जिनसे इस उद्योग के लिए इन परिवर्तनों को अपनाना सहज हो सके। सरकार को भरोसा है कि ऑटो उद्योग इन नीतियों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा और हम ऑटो विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ऑटो विनिर्माण एवं तकनीक में प्रगतिशीलता और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के तीन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सरकार की प्रस्तावित प्लानिंग पॉलिसी एन.जी.टी. के मानकों के अनुरूप है

- क्या नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया जाना चाहिये
- प्रदेश में पिछले 30 दिनों में भूकंप के 32 छटके आ चुके हैं
- पिछले एक वर्ष में 250 से ज्यादा भूकंप प्रदेश में आये हैं
- क्या इस पर चिंता की जानी चाहिये
- क्या नगर निगम चुनाव से पूर्व इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिये

नगर निगम चुनावों के आईने में कुछ सवाल

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनाव मई में होने जा रहे हैं इन चुनावों के लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी–अपनी चुनाव टीमों की घोषणा कर दी है। वर्तमान में इस नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। इससे पहले महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर सीधे चुनाव में सी.पी.एम. का कब्जा रहा है। उससे पहले लंबे समय तक नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा रहा है इस नाते नगर की जनता के सामने तीनों के शासनकाल का तुलनात्मक आकलन करने का पर्याप्त अवसर है। कुछ सोशल मीडिया की पोस्टों के माध्यम से यह भी सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में उतरने जा रही है। लेकिन उसकी नीयत और गंभीरता का पता इसी से चल जाता है कि जब उसके नेता जनता से आप या भाजपा दोनों में से एक को चुनने की अपील करते हैं। इस अपील का अर्थ है कि यदि आप को नहीं चाहते हो तो भाजपा को समर्थन दे दो। राजनीतिक दलों के इस आपसी तालमेल के बीच शिमला की मुख्य समस्याओं पर चर्चा उठाना महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस समय प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और नगर निगम पर भी उसी का कब्जा है। इन चुनावों से पहले नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया जा रहा है। शिमला से लगते कुछ पंचायतों के गांव को इसमें मिलाकर 44 वार्ड बनाये जा रहे हैं। इस प्रस्तावित विस्तार के खिलाफ शहर के विभिन्न भागों से आपत्तियां आई हैं। जिनमें कैथू, भराड़ी और समरहिल प्रमुख हैं। यह आपत्तियां इस कारण आयी कि निगम प्रशासन वर्तमान क्षेत्र में ही सुविधाओं की आपूर्ति उचित रूप से नहीं कर पा रहा है तो क्षेत्र विस्तार के बाद और कठिन हो जायेगा। जबकि निगम ने अधिकांश कार्य प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर रखे हैं। नगर निगम के पास अपनी आय के साधन इतने नहीं हैं जिनसे उसके खर्चे निकल सकें। क्योंकि वन आदि संपत्तियां सरकार ने पहले ही निगम से अपने पास ले ली हैं। ऐसे में खर्चे निकालने के लिए सेवायें महंगी करने और लोगों पर करों का बोझ बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं रह जाता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा राजनीतिक दल चुनाव में इस पर बात करेगा।

इससे हटकर इस समय शिमला भवन निर्माणों की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि 1977 में जनता पार्टी के शासन में तबकी शांता कुमार सरकार ने प्रदेश को टी.सी.पी. विभाग तो बना कर दे दिया लेकिन इसके लिए कोई स्थाई प्लानिंग पॉलिसी नहीं दे पाये। यह विभाग भी तब इसलिये बनाना पड़ा था कि प्रदेश उससे पहले किन्नौर भूकंप की त्रासदी झेल चुका था और शिमला नगर का भी एक बहुत बड़ा भाग इसकी चपेट में आ गया था। उस समय शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान को जो नुकसान पहुंचा था उसकी भरपाई आज तक सैकड़ों करोड़ खर्च करके नहीं हो पायी है। उस कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये एक निश्चित नियोजन नीति लाने का दबाव आया था। लेकिन तब से लेकर आज तक आयी सरकारें यह पॉलिसी नहीं ला पायी। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि शिमला नगर पालिका से नगर निगम बन गया और भवन निर्माणों को नियोजित करने के लिये इसके पास अपने जो नियम कानून थे उन्हें भी सरकारों ने रिटेंशन पॉलिसीयां लाकर स्वाह कर दिया। अवैध निर्माणों को इन पॉलिसियों के सहारे बढ़ावा दिया जाता रहा। प्रदेश में इस दौरान कांग्रेस और भाजपा की ही सरकारी रही हैं। दोनों सरकारों के समय में रिटेंशन पॉलिसीयां लायी गयी। नौ बार यह पॉलिसी लाकर अवैधताओं को प्रोत्साहित किया गया। इन अवैधताओं का संज्ञान लेकर जब–जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तभी दोनों दलों ने अपरोक्ष में हाथ मिलाकर राजभवन को भी प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर कई बार चिंतायें व्यक्त की गयी और इन्हीं चिंताओं का परिणाम था कि सरकार को अधिकारियों के स्तर पर कमेटी का गठन करना पड़ा। पहली कमेटी आर. डी.धीमान की अध्यक्षता में बनी और दूसरी तरूण कपूर की अध्यक्षता में। इन कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर ही नवम्बर 2017 का एन.जी.टी. का फैसला आया है। इसी फैसले में एनजीटी ने स्थाई प्लानिंग पॉलिसी लाने के निर्देश दिये हैं एन.जी.टी. ने शिमला में नये निर्माणों पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिसमें कोर एरिया में तो कड़ा प्रतिबंध है। एन.जी.टी. के फैसले की अनुपालना की जिम्मेदारी स्वभाविक रूप से जयराम सरकार पर आयी। लेकिन भाजपा तो अवैधताओं को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा चुकी है। इसलिये एन.जी.टी. के फैसले के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर हो गयी।

इसी बीच सरकार ने सचिवालय में व स्व.नरेंद्र बरागटा ने एन.जी.टी. से कुछ निर्माणों की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अपने पुराने भवन को गिराकर नया निर्माण करने की अनुमति मांगी। लेकिन उच्च न्यायालय को भी यह अनुमति नहीं दी गयी। इस फैसले में भी एन.जी.टी. ने प्लानिंग पॉलिसी लाने में हो रही देरी के लिये सरकार की निंदा की गयी है। इसमें फिर दोहराया गया है कि शिमला को बचाने के लिये यहां से कार्यालयों को प्रदेश के दूसरे भागों में ले जाया जाये। लेकिन सरकार जो अब करीब तीन सौ पन्नों की शिमला के लिये योजना लेकर आयी है वह एन.जी.टी. और सरकार की अपनी कमेटियों की सिफारिशों से एकदम उलट है। सरकार की पॉलिसी को लेकर आये त्रिलोक जमवाल के ब्यान के मुताबिक सरकार कोर एरिया में भी दो मंजिलें, पार्किंग और एटिक के निर्माण की अनुमति होगी। नॉन कोर एरिया में रिहायशी भवनों के अतिरिक्त दुकानों व्यवसायिक परिसर और होटल आदि के निर्माण की भी सुविधा होगी। भवन निर्माण में तीन मंजिल प्लस पार्किंग और एटिक की अनुमति होगी।

इस परिपेक्ष में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिर एन.जी.टी. निर्माणों पर प्रतिबंध की सिफारिश क्यों कर रहा है। स्मरणीय है कि हिमाचल भूकंप जोन में आता है। शिमला नगर का भी बहुत बड़ा भाग स्लाइडिंग जोन में आता है और सरकार इसे मानती है। उच्च न्यायालय का अपना भवन इसी जोन में है। रिज के धंसने की समस्या लगातार जारी है। पिछले वर्ष कच्ची घाटी में एक आठ मंजिला भवन गिर चुका है। इससे पहले फिंगास्क स्टेट में भी ऐसा हादसा हो चुका है। सरकार के अपने अध्ययन के मुताबिक शिमला में भूकंप आने पर करीब चालीस हजार लोगों की जान जा सकती है। 70% से अधिक निर्माण प्रभावित हो सकते हैं। इस समय ही अदालत में आयी जानकारी के मुताबिक तीस हजार भवनों के नक्शे तक पास नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश में आ रहे भूकंपों की बात की जाये तो एन.जी.टी. की चिंता को समझा जा सकता है। 4 अप्रैल 1905 को जो कांगड़ा में भूकंप आया था उससे 28000 लोगों की मौत हो गई थी। 1906 में कुल्लू और 1930 में सुल्तानपुर में भूकंप आ चुके हैं। पिछले कुछ अरसे से भूकंप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेटीरियोलॉजिक सैन्टर के मुताबिक पिछले 30 दिनों में 28–02–2022 तक 4.8 की तीव्रता के 32 झटके प्रदेश में आ चुके हैं। पिछले एक वर्ष में प्रदेश 250 से ज्यादा भूकंप झेल चुका है और हर जिले में भूकंप आ रहे है। विभाग के अध्ययन 2018 से बड़े भूकंप की चेतावनी लगातार देते आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जाना माना जा रहा है। इस परिदृश्य में यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर इन अध्ययनों के अनुसार फैसले ले और भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान से बचने के कदम उठाये। सरकार जो योजना लेकर आयी है उसका आकलन इन व्यवहारिक पक्षों के आईने में किया जाना चाहिये। यह सही है कि इस पॉलिसी पर एन.जी.टी. भी विचार करेगा। लेकिन सरकारें जिस तरह से पूर्व में अदालत और अपनी ही सिफारिशों को नजरअंदाज करती रही है उसको सामने रखकर इन चुनावों में इस पर एक विस्तृत बहस उठाया जाना आवश्यक हो जाता है।